राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांकः प.3(2)कार्मिक/क–3/जांच/2024 जयपुर दिनांकः **20.09.2024**

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त संभागीय आयुक्त।
5. समस्त जिला कलक्टर।

विषयः– राजकीय कार्मिको द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के परिपत्र कमांक प. 3(1)कार्मिक/क–3/जांच/2004 दिनांक 12.10.2017 से अखिल भारतीय सेवाऐं (आचरण) नियम 1968 के नियम 3 तथा 7 एवं राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम 1971 के नियम 3, 4 तथा 11 में विहित प्रावधानों के क्रम में सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा प्रेस व सोशल मीडिया के माध्यम से मनगढ़न्त तथा अनर्गल आरोप/टिप्पणियां प्रचारित/प्रसारित करने को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिये दिशा–निर्देश जारी किये गये।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। अतः विभागीय परिपत्र कमांक प. 3(1)कार्मिक/क–3/जांच/2004 दिनांक 12.10.2017 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न कर लेख है कि उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों की पालना कठोरता के साथ अक्षरशः सुनिश्चित की जावें।

(डॉ0 कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राज0, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राज0, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।

शासन सचिव

RajKaj Ref
10631140

Signature valid
Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.20 17:3?:29 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग

क्रमांकः प.3(1)कार्मिक/क–3/जॉच/2004 जयपुर, दिनांक : 12 OCT 2017

परिपत्र

अखिल भारतीय सेवाऐं (आचरण) नियम, 1968 के नियम, 03 तथा 07 एवं राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम, 03 व 04 तथा 11 के अन्तर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अनुचित व अशोभनीय आचरण नहीं करेगा, कर्त्तव्यनिष्ठा एवम् कार्यालय की गरिमा बनाए रखेगा तथा सरकार के किसी कदम या नीति की आलोचना नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा उक्त नियमों की पालना नहीं की जा रही है एवम् प्रेस व सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध मनगढ़न्त तथा अनर्गल आरोप प्रचारित/प्रसारित किए जाते हैं और उनके अनुचित व अशोभनीय आचरण से कार्यालय की छवि धूमिल होती है।

अतः समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह सार्वजनिक तौर पर किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी पार्टी अथवा संस्थान के विरूद्ध तथ्यहीन, निराधार, असत्यापित, गरिमा व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले अनर्गल/मनगढ़न्त टिप्पणियॉं कतई प्रचारित/प्रसारित नहीं करें, यदि उक्त निर्देशों का किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

(भास्कर ए.सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् पालना सुनिश्चित करवाने हेतु।

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ......।
7. समस्त विभागाध्यक्ष ......।
8. समस्त जिला कलक्टर ......।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव